

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/12990091

संखनक: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय द्वारा:-


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कालेजियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संसदों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कालेजियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संसदों को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिती द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संसदों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु नियुक्ति वर्कों के अधीन पर्यवेक्षण एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संघ का कोड एवं नाम : 4826-APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 97, MEERAPUR VARANASI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MEERAPUR			
क्रमांक	पर्यवेक्षण का नाम	ए०आईपीसीआईओ पीआईओआईओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु वर्ग

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 31/16-3099/02022 टीसीओ-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संसद संसदों की अधीन के विस्तृत फार्मसी पर्यवेक्षण में स्थिति वि० फार्मसी संसद 0027/2023 में फार्मसी पर्यवेक्षण के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता मिली की जाती है।
- ✓ उत्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कालेजियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी वर्गों का पूर्ण परामर्श की जाती है।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कालेजियल और इंडिया, नई दिल्ली के संसद के अनुक्रम संसदों में संसद संसदों (ए० प्र०, भारत, ए० प्र० सरकार) अधीन उपलब्ध है।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद ए० प्र० 1983 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, विनियमकारी-2000, विनियमकारी-2019 तथा संसद संसद पर निर्मित संसदों का अनुमोदन की जाती है। संसद निर्धारित समिती द्वारा निर्धारित संसद ही प्रवेश संसदों में प्रदात किया जाएगा। संसदों के अधीन संसदों में संसद के सम्बन्ध में संसद संसद पर संसद द्वारा निर्मित किये जाने वाले संसदों पर प्रदात की जाती है, और अनुमोदन संसदों किये जाने आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा समिती द्वारा पत्र संसद 2023-24 हेतु प्राथमिक का अनुमोदन किये जाता है, जो प्राथमिक को नदीकरण की संसद की जाती है।
- ✓ संसद में संसद प्रवेश प्राथमिक द्वारा अधीन संसदों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संसद की संसद संसद पर निर्मित संसदों के अनुमोदन निर्धारित एवं सम्बद्धता संसद संसद संसद होगा।


DIRECTOR
 Apex Institute of Pharmacy
 Apex Paramedical Institute
 Varanasi Chunar Road

- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश करने द्वारा निर्दिष्ट विधिविषयों/अभियोगों/समाप्तियों/निर्देशों पर निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा जारी गठे निर्देशों, विधिविषयों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के दिने सम्पन्नकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/एनटीसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त उपरदरिक्त संस्था का द्वारा और विधिक कार्य से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था द्वारा उपरदरिक्त होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश करने के विस्तृत यदि कोई कार्य द्वारा किया जाता है तब द्वारा कार्य के संस्था में न, सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, द्वारा प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/एनटीसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया द्वारा अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रवेश हेतु कार्य-कार्य पर निर्दिष्ट नवीनतम आदेश विषयों का अनुपालन करना सम्पन्नकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुलभता वेबसाइट पर संस्था को समस्त सुलभता जैसे संस्था की प्रतिक्रिया पूर्ण भूमि, भाग्य, कार्य-कार्य, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला सुलभता, सम्बन्धित सुलभता आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विवरण/प्रतिक्रिया हेतु उपयुक्त सम्बन्धित उपलब्ध करने के साथ प्रेषित करने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित सम्बन्धित सम्पन्नकारी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो वे कि संस्था में प्रशासित/अप्रशासित सम्बन्धित को सम्पन्न करने हेतु निर्दिष्ट सविधि के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भाग्य, कार्य-कार्य, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य सम्बन्धित के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था को सम्बन्धित सम्पन्न करने की कार्यकारी को जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा (सामंजस और उपसमिति), संस्थाओं का सम्बन्धित किया जाता। विधिविषयों, 2020 के प्राथमिक/संयुक्त परिषद की मांग पर अपने कार्यकारी, आदेशों और कार्य-कार्य को परिषद को प्रेषित के सम्बन्धित के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकृत भारतीय निर्देशक के द्वारा यदि संस्था में भूमि, भाग्य, सम्बन्धित, उपकरण एवं अन्य कार्य-कार्य सम्बन्धित/अप्रशासित/अप्रशासित/अप्रशासित के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बन्धित सम्पन्न करने की कार्यकारी को जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुपालन न किया जाने अथवा कार्य का उपलब्ध करने जाने की स्थिति में सम्बन्धित/अनुपालन/सम्बन्धित सम्पन्नकारी को जायेगी।


 (अजीत कुमार मिश्र)
 सचिव

पुंजा- प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2023/12090002-12091230

दिनांक: 13-09-2023

प्रतिष्ठित:-

प्रजातन्त्रनिदेशक APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 07 MIRZAPUR VARANASI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MIRZAPUR


 DIRECTOR
 Apex Institute of Pharmacy
 Apex Paramedical Institute
 Samaspur, Chunar, Mirzapur


 (अजीत कुमार मिश्र)
 सचिव

**कार्यालय,
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ: दिनांक- 30/08/2022

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु विषयोंमा भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संगठ हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4826-APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 07 MIRZAPUR VARANASI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MIRZAPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक आश्वासन से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आश्वासनों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सहान द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों का पालन होगा, और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो प्रवेश की गरीबता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा निर्गत विधिविन्दी/अधिविन्दी/आश्वासनों/निर्देशों का निरन्तर, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये निर्णय, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

DIRECTOR
Apex Institute of Pharmacy
Apex Paramedical Instn.
Chunar, Mirzapur, U.P.

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चाला जाता है तथा इसके बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो स्वयं प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुख, छात्रावास सुख आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षासभ्य उपलब्ध बनाने के साथ रेगियुलरी रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राथमिक/संयुक्त पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्यक्ता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिकतम स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्यक्ता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्यक्ता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पुंजा०- प्राथिप/परिषद सम्यक्ता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिक्त-

DIRECTOR, APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 07 MIRZAPUR VARANASHI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MIRZAPUR.


DIRECTOR
 Apex Institute of Pharmacy
 Apex Paramedical Instn.
 Mirzapur, Chunar, NH-07



(एफ०आर० खान)

सचिव

संश्लेषण

- ✓ संस्था द्वारा प्रदत्त सामग्री द्वारा बनाये गये विधि-विधान/प्रतिविधान/सामवेद/संविधान एवं विनियम, कतिपय विधे, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 एवं कतिपय विधे परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये विधान, विनियम, अर्हता, विधान का पालन करने के विषये बताने होगी।
- ✓ विनियम द्वारा भारतीय पर्यवेक्षण की संरचना यदि पी.टी.आई. एवं नई दिल्ली में अनुसंधान करना करने में अलग-अलग रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित संस्था का होना और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। कतिपय विधे परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, कतिपय विधे निर्देशमय एवं कतिपय विधे विनियम द्वारा प्रदत्त सामग्री को कोड़े एवं द्वारा किया जाता है तथा द्वारा अट के संस्था में नए, नवप्रवर्तक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी प्रवेश विनियम किया जाता है जो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को बनानी होगी।
- ✓ विनियम द्वारा भारतीय पर्यवेक्षण संबंधित करने वाली कार्यवाही को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, द्वारा प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्राथक रूप के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु स्व-निर्धारित प्रवेश होने के पूर्व पी.टी.आई.एंड.पी. अनुसंधान करना का परिषद कार्यवाही को उपलब्ध बनाना होगा अथवा उन्हीं प्रवेश की (स्व-निर्धारित के अनुसार ही प्रवेश संस्था द्वारा या सीधे प्रवेश) अनुसंधान नहीं करना की जाएगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट सीमांतक अनुसार किसी का अनुसंधान करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रुति प्रुति, संचय, सार-सार, उपकरण, कार्य किया जाने वाल प्रुति, कार्यवाही प्रुति आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-विनियम हेतु उपरोक्त कार्यवाही उपलब्ध बनाने के साथ विधि संबंधी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो में कि संस्था में परामर्शित संबंधित पर्यवेक्षण को बनाने करने हेतु निर्धारण समिति के समस्त उपलब्ध बनाने एवं अभिलेख, प्रुति-सामग्री, कतिपय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संस्था में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य करने के लिए कर रही है जो उपलब्ध संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित विधि करने की अनुसंधान की जाएगी।
- ✓ संस्था के उपरोक्त निर्धारण दौरान यदि संस्था में प्रुति, संचय, कतिपय, उपकरण एवं अन्य सार-सार सम्बन्धित/संबन्धित/संबन्धित के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है जो संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित का ही जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित नहीं का अनुसंधान न करने करने प्रवेश नहीं का उपलब्ध विधि करने की विधि में विधानपूर्वक अनुसंधान/कार्यवाही कार्यवाही की जाएगी।

(प्रुति प्रुति संस्था)

प्रुति

फ़ोन- कतिपय परिषद संख्या/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

पते/पते-

एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मासी, NH-7, MIRZAPUR


DIRECTOR
Apex Institute of Pharmacy
100A, Parvati Nagar, Mirzapur
Uttarakhand, Charan, Mirzapur


(प्रुति प्रुति संस्था)